प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्र.सं. 02/2021 अन्तर्गत धारा 130 एलआर एक्ट
जसवीर सिंह बनाम सरकार
जीसीएमएस : 2021/15

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ठण्डी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण रिपोर्ट तहसीलदार इंतजार हेतु लम्बित है। प्रकरण में रिपोर्ट उप तहसीलदार मुकलावा क्रमांक भू.अ./21/801 दिनांक 18.11.2021 पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं। जो कि शामिल पत्रावली हैं।	
प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के दादा लालसिंह के नाम से चक 22 एनपी के मु.नं. 59 में 3.100है. नहरी भूमि तथा मु.नं. 17 में 3.670है. बारानी भूमि खातेदारी थी। लालसिंह के चार वारिस जीत सिंह, मोहन सिंह, केवल सिंह, गुरदीप कौर पत्नी प्रीतम सिंह थे। जिनका जमीन में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था। और लालसिंह की मृत्यु के बाद इसी अनुसार जमाबंदी में दर्ज हो गया जो सही था। गुरदीप कौर के स्वर्गवासस के बाद गुरदीप कौर का 1/4 हिस्सा उनके वारिसान जसवीर सिंह, बलविन्द्र सिंह तथा मानसिंह के वारिसान के नाम जमाबंदी में दर्ज होना था। लेकिन सहवन से 1/4 के स्थान पर 1/2 दर्ज हो गया था लालसिंह के अन्य तीन वारिसान जीत सिंह, मोहन सिंह, केवल सिंह के नाम कुल 3/4 हिस्सा दर्ज होना था जो सहवन से 1/2 दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। दुरूस्ती आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।	
रिपोर्ट उप तहसीलदार मुकलावा के अनुसार रकबा पूर्व में लालसिंह पुत्र नंदासिंह जाति कारीगर के नाम दर्ज रिकार्ड था। उक्त खातेदार द्वारा जीतसिह–मोहनसिंह–केवलसिंह–पि0 लालसिंह, गुरदीप कौर पत्नी प्रीतमसिंह बहिक वसीयत करवाई गयी थी। जो ई.नं. 79 से रिकार्ड में दर्ज की गई। इसके पश्चात ई.नं. 143 से गुरदीप कौर पत्नी प्रीतम सिंह के फौत होने पर विरास्तन ईन्तकाल में गुरदीप कौर के वारिसान के नाम 1/2 हि0 दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबंदी में जीतसिंह–मोहनसिंह–केवलसिंह पि0 लालसिंह 1/2 हिस्सा के स्थान पर 3/4 हि0, बलविन्द्र सिंह का 1/6 के स्थान पर 1/12 हिस्सा, जसवीर सिंह का 1/6 के स्थान पर 1/12 हि. व बलवीर कौर पत्नी मानसिंह 1/24 हिस्सा व दिलजीत सिंह पुत्र मानसिंह का 1/24 हि. दर्ज किया जाना उचित हैं।	
रिपोर्ट उपतहसीलदार मुकलावा एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि गुरदीप कौर के वारिसान का रिकार्ड में अमल दरामद करते समय सहवन से 1/4 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा का अंकन किया गया हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी आवश्यक हैं।	
अतः उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट उप तहसीलदार मुकलावा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी चक 22 एनपी मु.नं. 17 प.नं. 178/326 की 3.670है. भूमि में दर्ज खातेदारान के नाम हिस्सा जीतसिंह–मोहनसिंह–केवलसिंह पि0 लालसिंह 1/2 हिस्सा के स्थान पर 3/4 हिस्सा ब.हि.ब, बलविन्द्र सिंह का 1/6 के स्थान पर 1/12 हिस्सा, जसवीर सिंह का 1/6 के स्थान पर 1/12 हि. व बलवीर कौर पत्नी मानसिंह 1/24 हिस्सा व दिलजीत सिंह पुत्र मानसिंह का 1/24 हिस्सा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। इसी ... रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।	
आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को ... लिखाया जाकर ... आम में निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.11.2021 को सुनाया गया।	
पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
(अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प– ठण्डी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:33:01 IST
Reason: SelfAttested